न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी :सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 35/2022 राजस्व अपील

मीठालाल पुत्र बिहारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी रायपुरा ब्राह्मणान तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सिकन्दरा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्व निर्णय उप तहसीलदार सिकन्दरा निर्णय दिनांक 28.01.2022 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम मीठालाल मुकदमा संख्या 187/2021 अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट)

उपस्थिति :श्री पदम सिंह गुर्जर अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।

: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:— निर्णय :— दिनांकः 20.09.2024

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट ने सम्वत 2078 में खसरा नम्बर 117 रकबा 0.16 है. भूमि किस्म गै. मु. नला सिवायचक पर गेहूं व तरा की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुने बिना व जवाब लिये बिना ही अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में निर्णय दिनांक 28.01.2022 पारित कर दिया तथा अपीलान्ट को 30 दिवस के कारावास व पेनल्टी से दण्डित करने के आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 28.01.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून उप नियम व पत्रावली के तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट ने किसी भी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है और ना ही कोई काश्त की है। पटवारी हल्का ने झूंठी रिपोर्ट पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को न तो जवाब का मौका दिया व न ही सुनवाई व सबूत का मौका दिया। पीडित पक्ष को सजा जैसे मुकदमें में पूर्ण सुनवाई का मौका देकर निर्णय पारित करना चाहिये। पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का सबूत भी नहीं है। अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि अपीलान्ट का भूमि खसरा नम्बर 117 गैर मु. नला पर वर्तमान में अतिक्रमण नहीं है। अपीलान्ट शपथकर्ता ने अपना अतिक्रमण मौके पर से हटा लिया है और ना ही भविष्य में कभी अतिक्रमण करेगा। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उप तहसीलदार सिकन्दरा के निर्णय दिनांक 28.01.2022 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट ने ग्राम रायपुरा ब्राह्मणान स्थित भूमि खसरा नम्बर 117 किस्म गै. मु. नला के रकबा 0.08 है. पर गेहूं एवं 0.08 है. पर तरा की काश्त कर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी सुनवाई व सबूत का अवसर दिया जाकर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल कर पेनल्टी व 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा अपीलान्ट का ग्राम रायपुरा ब्राह्मणान उप तहसील तहसील सिकन्दरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 117 रकबा 0.16 है. किस्म गै. मु. नला पर गेहूं एवं तरा की काश्त कर अतिक्रमण किये जाने पर धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर 117 गैर मु. नला पर वर्तमान में अतिक्रमण नहीं होना, मौके पर से अपीलान्ट शपथकर्ता द्वारा अपना अतिक्रमण मौके पर से हटा लिया जाना एवं भविष्य में अतिक्रमण नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।ऐसी स्थिति में हम अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इस आशय के साथ आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि ग्राम रायपुरा ब्राह्मणान तहसील सिकराय भूमि खसरा नम्बर 1117 गैर मु. नला पर से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार अतिक्रमण हटा लिया जाना उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा सत्यापित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.01.2022 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा स्थिति में सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 28.01.2022 यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया मूल शपथ पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नतीजा दर्ज कलम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:26:20 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 20.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official